



कार्यालय प्रधान मुख्य वन संरक्षक एवं वन बल प्रमुख, छत्तीसगढ़
अरण्य भवन, सेक्टर-19, नार्थ ब्लॉक, केपिटल कॉम्प्लेक्स, नवा रायपुर, अटल नगर - 492002
(प्रधान मुख्य वन संरक्षक - भू-प्रबंध)

दूरभाष: 0771 - 2512840

ई - मेल: apccf-lm.cg@gov.in

क्र०/ भू-प्रबंध/विद्युत/479-147/2555

रायपुर, दिनांक/7/10/2025

प्रति,

कार्यपालन अभियंता
छत्तीसगढ़ राज्य विद्युत पारेषण कम्पनी मर्यादित
महासमुंद

विषय:- Diversion of 2.37 ha of forest land in favour of CSPTCL for construction of 132 KV DCDS Line from 220/132 KV S/S Parswani to 132/25 KV Railway Traction S/S Mahasamund Transmission Line under FCA, 1980 in Mahasamund District in the State of Chhattisgarh.

- पंजीयन क्रमांक/FP/CG/Trans/ 16561/ 2015

संदर्भ:- कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/विद्युत/479-147/945 दिनांक 19.04.2023

※ ※ ※ ※ ※

विषयांतर्गत संदर्भित पत्र का अवलोकन करे जिसके माध्यम से 132/25 KV Railway Traction S/S Mahasamund Transmission Line area 2.37 ha के प्रकरण में वन (संरक्षण एवं संवर्धन) अधिनियम 1980 अंतर्गत भूमि व्यपवर्तन की अनुमति प्रदान की गयी है।

प्रकरण में महासमुंद वन मंडल अंतर्गत वैकल्पिक वृक्षारोपण हेतु चयनित रकबा 4.74 हे. वन भूमि के लिये वर्ष 2022-23 की तदसमय प्रचलित दर के मान से राशि रु. 878787/- प्रति हे. कुल राशि 41,65,450 /- परिवेश पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा किया गया था।

वैकल्पिक वृक्षारोपण की दर के संबंध में आडिट दल द्वारा ली गई आपत्ति के निराकरण हेतु कार्यालयीन पत्र क्रमांक/ भू-प्रबंध/विधि/115-25/2112 दिनांक 13.08.2025 (छायाप्रति संलग्न) द्वारा वित्तीय वर्ष 2022-23 हेतु पूर्व निर्धारित दर रु. 8,78,787/- प्रति हे. को पुनरीक्षित कर राशि रु. 9,66,666/- की गयी है।

तदनुसार वैकल्पिक वृक्षारोपण की अंतर की राशि की गणना निम्नानुसार है :-

क्र.	वर्ष	दर / रकबा	राशि
1	2022-23 (पुनरीक्षित)	966666 X 4.74	45,81,997
2	2022-23 (पूर्व में जमा)	878787 X 4.74	41,65,450
अंतर			4,16,547

अतः आडिट आपत्ति के निराकरण हेतु उक्तानुसार अंतर की राशि रु. 4,16,547/- तत्काल ई-पोर्टल के माध्यम से कैम्पा खाते में जमा करे।

संलग्न: उपरोक्तानुसार

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़
रायपुर, दिनांक/7/10/2025

पृ. क्र./ भू-प्रबंध/विद्युत/479-147/2556
प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु:

- मुख्य वन संरक्षक, रायपुर वृत्त, रायपुर, छत्तीसगढ़।
- वन मंडलाधिकारी, महासमुंद वनमंडल, महासमुंद, छत्तीसगढ़।

प्रधान मुख्य वन संरक्षक
(भू-प्र./वन (सं. एवं सं.) अ)
छत्तीसगढ़